कार्यालय निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिशा–निर्देश

कृपया सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना विकास,सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि0यो0) के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 60/2022/1026/सैंतीस–2–2022/001–(43)/02 दिनांक 28 जून,2022 द्वारा विभिन्न मानक मदों में धनरशि रू0–275.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके कम में वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः 718/बजट/29(5)/अनु0सं0–83/13/2021–22 दिनांक 06.07.2022 द्वारा विभिन्न मानक मदों में उक्त धनराशि रू0–275.00 लाख का आवंटन किया जा चुका है का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये आवंटित धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें:–

1– शासनादेश दिनांक 28 जून,2022 तथा वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र दिनांक 06 जुलाई,2022 द्वारा दिये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाय।

2– योजना में आवंटित धनराशि का व्यय योजना में उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा यदि जिला योजनान्तर्गत परिव्यय स्वीकृति नही है तो जिला योजना समिति से परिव्यय स्वीकृति कराने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का व्यय किया जाय।

3– आवंटित धनराशि का व्यय योजना के निहित उद्देश्यों/प्रायोजन की पूर्ति के लिये ही किया जाय।

4– मानक मद 02 मद में आवंटित धनराशि का व्यय प्रक्षेत्र पर रखे गये दैनिक श्रमिकों के मजदूरी के बीजकों का भुगतान किया जाय।

5– योजना के मानक–मद 39 मद में आवंटित धनराशि का व्यय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार ही दवाओं/उपकरणों आदि का कय किया जाये। अनुमोदित सूची के बाहर से कय करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

6– योजना के मानक मद–40 एवं 42 मदों में आवंटित धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री को विभागीय मानकों एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय किया जाय।

7– योजना में जब तक धनराशि उपलब्ध न हो, तब तक किसी प्रकार की क्रय कार्यवाही न की जाये।

8 मानक मद–43 साम्रगी और सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि से प्रक्षेत्र पर ब्रीडिंग स्टाक पूर्ण करने हेतु पशुओं का कय एवं/अथवा राशन आदि का कय किया जायेगा तथा मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा उक्त मद में आवंटित धनराशि से जनपद में पशुचिकित्सालयों पर स्वीकृत सूकर सांड केन्द्रो/अंशदान वितरित करने हेतु पशुओं का कय एवं/अथवा राशन आदि का कय किया जायेगा। नर सूकर सांड कय करने हेतु अपनी मांग अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाय।

9– प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध मादा सूकरों में "इनब्रीडिंग" से बचने हेतु अन्य प्रक्षेत्रों से नर सूकरों का कय किया जाय। जिससे इनब्रीडिंग से बचा जा सकें। यदि पैरेन्ट स्टाक में प्रजनन योग्य मादा न हो तो उनको अनुप्रयोगी कर विचयन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे, साथ ही उसके स्थान नया पैरेन्ट स्टाक (मादा) का कय किया जाय। जिसके लिये अपना मांग पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10– 29 अनुरक्षण मद में आवंटित धनराशि को शासनादेश संख्याःए–2–1092/दस– 2011–24 (7)/95 दिनांक 25 नवम्बर,2011 के विवरण पत्र XVII के बिन्दु संख्या–17 में निहित प्रविधानों एवं निर्देशो के अनुसार ही कार्यवाही की जाय तथा अनुरक्षण में कराये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित करते हुये उनका आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा उसकी एक प्रमाणित छाया प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

.........2/–

ur

योजनान्तर्गत व्यय किये जाने वाली धनराशि को उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जाये। उपरोक्त दिये गये दिशा–निर्देशों के इतर व्यय करना अनियमितता होगी, योजना के परीक्षणोपरान्त वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर व्यय की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार संबंधित अधिकारी से की जायेगी।

(डा0जीवन दत्त)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

संख्याः 517/प0–1/9ख/सूकर प्रक्षेत्र/2022–23 दिनांकः 27/07/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रक्षेत्र प्रबंधक/अधीक्षक/प्रभारी, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र (सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र हेतु सैदपुर, ललितपुर/आराजी लाइन्स, वाराणसी/निबलेट बाराबंकी/नीलगांव सीतापुर।

2– परियोजना निदेशक, बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र,(सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र हेतु), नौगढ़ चन्दौली।

3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अलीगढ (सम्भागीय सूकर प्रजनन केन्द्र,सी0डी0एफ0)

4– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग,मैनपुरी,सोनभद्र, चन्दौली, एटा।

5– उप निदेशक (प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग महानगर, लखनऊ।

6– संयुक्त निदेशक, (नियोजन) मुख्यालय।

7– अनु सचिव, पशुधन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

8– श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाईजर, प्रधान कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त दिशा–निर्देशों को विभागीय, बेवसाईट पर डालना सुनिश्चित करें।

(डा0जीवन दत्त)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

18-07-2022